राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

कमांकः - एफ. २ (क) (विविध) अलेसे - 1/ 185

दिनांक:- 12/05/2022

परिपत्र

प्रसंगः– वित्त (राजस्व) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.10.2020 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 07.10.2020

उपर्युक्त प्रासंगिक परिपत्रों के द्वारा वित्त (राजस्व) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी अधिकारियों / कार्मिकों को संघ लोक सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोग / केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, उक्त क्रम में संबंधित अधिकारियों / कार्मिकों को केवल अपने नये पद पर कार्यग्रहण के समय संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक संघ लोक सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोग / केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए निदेशालय, लेखा एवं कोष द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रकरण इस निदेशालय में प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सभी अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करवाने की आवश्यकता नहीं है, उक्त क्रम में संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों को केवल अपने नये पद पर कार्यग्रहण के समय संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् प्रकरण इस निदेशालय को प्रेषित करावें। संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

सिर्णा माथुर) (भूपेश माथुर) निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:-12/05/2022

कमांकः- एफ. २ (क) (विविध) अलेसे- 1/ 185

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:--

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष ।

3. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा।

4. समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।/कनिष्ठ लेखाकार।

5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6. रक्षित पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया) अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- 1)

Government of Rajasthan Finance (Revenue) Department

F.No. 7 (2) F_D/ Tax/2016 Pt

Jaipur, Dated: 0 : OCT 2020

Circular

It is observed that many officers and other employees under the administration control of Finance (Revenue) Department apply for seeking no-objection either from their respective Head of Department or the Administrative Department for appearing in the examination conducted by Rajasthan Public Service Commission.

The matter has been examined and it is decided that all officers and employees of all the departments under administrative control of Finance (Revenue) Department no longer required to apply for seeking no-objection from their respective controlling officers, but they would seek permission from their respective controlling officer at the time of joining new Post/Service. This is in conformity with the provisions of circular dated 01.09.1998 issued by Department of Personnel, GoR.

(Dr. Prithvi)

Secretary to Government

Copy:-

- 1. P.S. to Additional Chief Secretary, Finance Department
- 2. Commissioner, Commercial Tax Department
- 3. Commissioner, Department of Excise
- 4. Inspector General, Registration & Stamp
- 5. Joint Secretary, Finance (Tax) Department
- 6. Joint Secretary, Finance (Excise) Department
- 7. Joint Secretary, Finance (Revenue) Department

Joint Secretary, FD (Revenue)

Government of Rajasthan Finance (Revenue) Department

F.No. 1(11)Fin/Rev/16pt

Jaipur, Dated: 07-10-2020

Corrigendum

Vide Circular no. F.No. 7(2)FD/Tax/2016 pt, dated 01-10-2020, requirement of seeking no objection by officers and employees from their HOD's and Administrative Department for appearing in the competitive examinations conducted by RPSC has been dispensed with.

Provisions of aforesaid Circular are also made applicable to all competitive examinations conducted by Union Public Service Commission and other Central/State Government organisations except academic programmes.

(Dr. Prithvi)

Secretary to Government

Copy to:-

- 1. P.S to Additional Chief Secretary, Finance Department
- 2. Commissioner, Commercial Tax Department
- 3. Commissioner, Department of Excise
- 4. Inspector General, Registration and Stamps
- 5. Joint Secretary, Finance (Tax) Department
- 6. Joint Secretary, Finance (Excise) Department
- 7. Joint Secretary, Finance (Revenue) Department
- 8. Technical Director, Finance (Computer Cell) Department

Joint Secretary, (Revenue)

Finance Department